मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों का मुस्लिम कानून के परिपेक्ष्य में विश्लेषण

विनीता कुड़ी

उत्तराधिकार का अत्यधिक साधारण नियम इस्लाम पूर्व अरब रूढ़ि में प्रचलित था। केवल पुरुष उत्तराधिकारी हो सकता था, इसलिए पुत्री, माता और बहन भी अपवर्जित किए गए थे। भावी न्यायाधीशोंद द्धारा मूस्लिम विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, परिवर्तन न्यायिक निर्णय द्वारा किए गए हैं। मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम महिला तलाक बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला जब तक कि वह किसी अन्य से निकाह नहीं करती है तब तक वह भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। विधि के वर्तमान विकास में, यह सामाजिक परिवर्तन से उद्भूत नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए पुरानी विधि को परिवर्तित करने के लिए न्यायाधीशों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत में न्यायाधीश इस चुनौती को स्वीकार किए हैं। मुस्लिम विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, परिवर्तन न्यायिक निर्णय द्वारा किए गए हैं।

Keywords: उत्तराधिकार, मुस्लिम विधि, कुरान, तलाक, इद्दत।

मुस्लिम विधि का पूर्ण विकास चार कालों से गुजरा है। प्रथम काल पैगम्बर के जीवन का अन्तिम दस वर्ष (622 से 632 ई0) तक है। दूसरे काल में प्रथम चार खलीफाओं का समय (632 से 661 ई0 तक) शामिल है। तृतीय काल 661 ई0 मं सन् में ओमेयाद राजवंश की स्थापना प्रारम्भा होता है और लगभग 900 ई0 सन् तक जारी रहता है। अन्तिम काल आधुनिक काल (900 ई0 से वर्तमान समय तक) है।[1] चार शाखाओं की स्थापना पर, मुस्लिम विधि का आगे विकास अवरूद्ध हो गया था। नये विद्वान अपनी–अपनी शाखाओं के प्रतिपादकों द्वारा अधिकथित पुराने सिद्धान्तों को लागू करने में सन्तुष्ट थे। उस समय में किसी को मुज्ताहिद (न्यायशास्त्री) होने की मान्यता नहीं दी गयी है, जिसे इज्तिहाद (विधि का स्वतन्त्र निर्वचन) की शक्ति है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से लोगों को स्वतन्त्र निर्वचन की अनुमति देने के बदले उसका अनुसरण करना चाहिए, जो पहले से विधि पुस्तकों में दिया गया है। यह तकलीद (परिसीमा) के सिद्धानत को उद्भूत किया था। इज्तिहाद का तत्पर्य विधि के नियम के सम्बन्ध में राय निर्मित करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं परिरम करनेसे है। इसे अब व्यवहारिक रूप से असम्भव माना जाता है। इसलिए, तकलीद का ढंग अंगीकार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति विधि के नियमों को नहीं जान सकता। इसलिए उसे उनकी राय का अनुसरण करना चाहिए, जो बेहतर ढंग से जानते हैं।

पैगम्बर कभी भी विधि के किसी भाग को संहिताबद्ध करने का प्रयत्न नहीं किए थे। मक्का और मदीना के दूरस्थ स्थानों तक इस्लाम के विस्तार के साथ, यह स्वाभाविक हो गया था कि नये स्थानों के लोग, जो इस्लाम स्वीकार किए थे, अपनी पुरानी रूढ़ियों में से कई का लगातार अनुसरण किए थे। अबू हनीफा विभिन्न शाखाओं के संस्थापकों में सबसे अधिक भाग्यशाली था। उसका मत साम्राज्य के मख्य काजी अबू ई यूसुफ के माध्यम से तत्काल लागू हुआ था।

उत्तराधिकार का अत्यधिक साधारण नियम इस्लाम पूर्व अरब रूढ़ि में प्रचलित था। नजदीकी पुरूष गोत्रज सम्पूर्ण सम्पत्ति को ग्रहण करेगा। गोत्रज पुरुष के माध्यम से रक्त सम्बन्ध है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से गैर रक्त सम्बन्ध, उदाहरणार्थ पत्नी अपवर्जित की गयी थी। इसलिए महिला के माध्यम से भी सम्बन्ध अपवर्जित किए गए थे। पुत्री के शिशु, माता के पूर्व पुरुष और बहन के वंशज सभी अपवर्जित किए गए थे। चूंकि केवल पुरुष उत्तराधिकारी हो सकता था, इसलिए पुत्री, माता और बहन भी अपवर्जित किए गए थे। नजदीकी सम्बन्ध अन्य अधिक दूरस्थ को अपवर्जित किए थे। वंशजों, उदाहरणार्थ पुत्र, पूर्व पुरुष, उदाहरणार्थ पति और साम्पार्शिवक, अर्थात् पूर्व पुरुष के वंशज, उदाहरणार्थ भाई, प्रथम द्वितीय को अपवर्जित किया गया था और द्वितीय तृतीय को अपवर्जित किया था। वंशजों के बीच पुत्र पौत्र को अपवर्जित करेगा, इत्यादि।[2]

पैगम्बर द्वारा किए गए परिवर्तन

कुरान निम्न व्यादेश दिया था –

कुरान 4, 11 – अल्लाह आप को अपने बच्चों से सम्बन्धित होने कासमादेश देता है, पुरुष का दो महिलाओं के अंश के समान होगा। इसके पश्चात् यदि वे दो महिलाओं (केवल) से अधिक है, तो उनका उससे दो तिहाई होगा, जिसे मृतक ने छोड़ा है और यदि एक है, तो उसका आधा होगा और उसके माता–पिता के लिए उनमें से प्रत्येक का उसका छठॉ होगा, जिसे उसने छोड़ा है, यदि उसके शिशु है, किन्तु यदि उसके कोई शिशु नहीं है और केवल उसके दो माता–पिता उसे उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं, तो उसकी माता को तीसरा प्राप्त होगा किन्तु यदि उसके भाई हैं, तो उसकी माता को छठां प्राप्त होगा, वसीयत (के भुगतान) के पश्चात् वह वसीयत कर सकता है या ऋण दे सकता है, आप के माता–पिता और आप के बच्चे, आप उसे नहीं जानते उनमें से कौनउपयोगिता में आपके नजदीक है, यह अल्लाह का अध्यादेश है, निश्चित रूपसे अल्लाह बुद्धिमानी से जान रहा है।

12. औरआपका उसका आधा होगा जिसे आपकी पत्नी छोड़ती है, यदि उनको कोई संतान नहीं है किन्तु यदि उनको संतान है, तो आप उसका चौथा प्राप्त करेंगे, जिसे वे किसी वसीयत के भुगतान के पश्चात् छोड़ते हैं, जिसे वसीयत में दिया जा सकता है या ऋण दिया जा सकता है और उन्हें उसका चौथा प्राप्त होगा जिसे आप छोड़ते हैं, यदि आपको कोई संतान नहीं है किन्तु यदि आप को संतान है, तो उनको उसका आठवाँ प्राप्त होगा, जिसे आप वसीयत (के भुगतान) के पश्चात् छोड़ते हैं, जिसे आप वसीयत में या ऋण मं दे सकते हैं और यदि मनुष्य या मलि न तो माता–पिता और न ही संतान द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की जाने वाली सम्पत्ति को छोड़ता है और उसको भाई या बहन है, तो उन दोनों में से प्रत्येक छठवां प्राप्त करेगा किन्तु यदि वे उससे अधिक हैं, तो उसका किसी वसीयत (के भुगतान) के पश्चात् तीसरे में अंश होगा, जिसे वसीयत आदि में दिया जा सकता है, जो (अन्य) को हानि नहीं पहुंचाती, यह अल्लाह का अध्यादेश है और अल्लाह जान रहा है, से विरत रह रहा है।[3]

तद्नुसार निम्न परिवर्तन हुए थे –

1. यदि मृतक को पुत्र ओर पुत्रियाँ दोनों है, तो उसे इस अनुपात में नहीं लेना चाहिए कि दो एक हैं।
2. यदि उसको कोई पुत्र नहीं है किन्तु केवल एक पुत्री है, तो वह आधा ग्रहण करती है किन्तु यदि दो या अधिक पुत्रियां है तो वे संयुक्त रूपसे सम्पूर्ण सम्पदा का दो–तिहाई ग्रहण करते हैं।
3. यदि उसके संतान है, जो उत्तराधिकार प्राप्त करता है, तो पिता और माता को प्रत्येक को छठा दिया जाता है। किन्तु यदि उसको कोई संतान नहीं है तो माता को एक तिहाई दिया जाता है। ये अपवाद निर्मित किया गया है। यदि मृतक दो या तीन भाइयों को तोड़ा था यद्यपि वे पिता या अन्य पूर्व पुरुष की उपस्थिति में कोई चीज ग्रहणनहीं करेंगे, तो माता का अंश केवल छठा होगा और न कि एक तिहाई यद्यपि मृतक कोई संतान नहीं छोड़ा था।
4. यदि मृतका संतान छोड़ती है, तो उसका पति एक चौथाई ग्रहण करता है, अन्यथा वह आधा ग्रहण करता है। यदि मृतक पति है, तो उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा आठवां अंश प्राप्त करती है, यदि उसको संतान है किन्तु यदि उसको संतान नहीं है,तो वह चौथाई ग्रहण करती है।
5. वंशज और पूर्व पुरुष को उत्तराधिकार प्राप्त करने में असफल होने पर साम्पार्श्विक अर्थात् भाई और बहन उत्तराधिकार प्राप्त करते है। ऐसे मामले में उनके बीच अनुपात वही है जैसे पुत्रों और पुत्रियों के बीच अर्थात् 3–1 का है। और भाई के असफल रहने पर बहन आधा ग्रहण करती है किन्तु यदि दो या अधिक बहनें हैं तोा वे संयुक्त रूप से दो तिहाई ग्रहण करते हैं।[4]
6. यदि साम्पार्श्विक उत्तराधिकार प्राप्त करते हैंतो सगे भाई और बहन भी उत्तराधिकारप्रापत करते है।।यदि केवल एक ऐसा भाई या बहन हैं, तो वह सातवाँ ग्रहण करता है या ग्रहण करती है किन्तु यदि दो या अधिक बहने हैं, तो वे संयुक्त रूप से एक तिहाई उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं।
7. साम्पार्श्विकों के बीच,उसी ढंग के पूर्ण सम्बन्ध औरसमरक्त सम्बन्ध केबीच, पूर्ववर्ती उत्तराधिकार प्राप्त करता है और पश्चात्वर्ती अपवर्जित किए जाते हैं।

भावी न्यायाधीशों के लिए, अबू यूसुफ का विनिश्चय अत्यधिक सहायक होगा। इसी तरह, विधि के वर्तमान विकास में, यह सामाजिक परिवर्तन से उद्भूत नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए पुरानी विधि को परिवर्तित करने के लिए न्यायाधीशों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। भारत में न्यायाधीश इस चुनौती को स्वीकार किए हैं। मुस्लिम विधि के विभिन्न क्षेत्रों में, परिवर्तन न्यायिक निर्णय द्वारा किए गए हैं। राममोहन राय के जमाने से ही हिन्दुओं और मुसलमानों के निजी कानूनों को संहिताबद्ध करने की मांग ने जोर पकड़ लिया था। ब्रिटिश सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने के बारे में सोचा भी था, लेकिन 1855 में ही इस काम को बिल्कुल असंभव जानकर उसने छोड़ दिया गया था।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। भारतीय मुस्लिम महिलाओं का भाग्य आज भी कठमुल्लाओं के हाथ में है। मुस्लिम जाति में आज भी बहुविवाह प्रथा है। इस्लामिक नियम यह है कि एक मुसलमान चाहे जितनी महिलाओं से शादी कर सकता है। परन्तु चार से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत एक मुस्लिम महिला एक समय में केवल एक ही व्यक्ति से विवाह कर सकती है। यदि एक मुसलमान चार पत्नियों के होते हुए पांचवी शादी करता है तो ऐसा विवाह शून्य न हो अनियमित होगा। इसके विपरीत यदि एक मुस्लिम पत्नी पति के होते हुए दूसरा विवाह करती है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अन्तर्गत उस पर द्वि–विवाह का मुकदमा चलेगा। ऐसे सम्बन्धों से पैदा हुई औलाद नाजायज मानी जायेगी और बाद में किसी भी सूरत में उसको जायज औलाद करार नहीं दिया जा सकता।[5]

सन् 1939 से पूर्व मुस्लिम महिलाओं की स्थिति विवाह–विच्छेद के मामले में बहुत खराब थी। तलाक देना पुरूष का एक निरंकुश अधिकार था, जब चाहे तीन शब्दों का उच्चारण करके अपनी पत्नी की तलाक दे सकता था। मगर विवाह–विच्छेद के सम्बन्ध में मुस्लिम महिला की स्थिति काफी हद तक सुधर गयी है।

अब मुस्लिम महिला भी निम्न बातों के आधार पर विवाह–विच्छेद कर सकती है–

(1) पति के चार वर्ष की अवधि के लिए लापता होने पर

(2) पति द्वारा दो वर्ष तक पत्नी का भरण–पोषण न करने पर

(3) पति को सात वर्ष या उससे अधिक की सजा दिये जाने पर,

(4) बिना युक्तियुक्त कारण के तीन वर्ष तक दाम्पत्य दायित्वों को निभाने में असफल रहने पर,

(5) विवाह के समय एवं विवाह–विच्छेद की याचिका दायर करने तक नपुंसक रहने पर,

(6) दो वर्ष तक पति के पागल रहने या उससे कोढ़ी होने या रतिजन्य रोग से पीड़ित होने पर, या

(7) पत्नी का विवाह उसके पन्द्रह वर्ष की उम्र प्राप्त होने के पूर्वे होने एवं अट्ठारह वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले पत्नी द्वारा बिना सम्भोग विवाह को अस्वीकृत किये जाने पर या,

(8) पति की निर्दयता जैसे–

(1) पत्नी को मारपीट, मानसिक आघात, (2) पति द्वारा कुख्यात महिलाओं के साथ रहने एवं बदनाम जिन्दगी बिताने, (3) पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने हेतु बाध्य करने, (4) पत्नी के बिना इजाजत उसकी सम्पत्ति का अन्तरण करने या (5) पत्नी को उसके धर्म पालन करने से रोकने पर या (6) यदि पति के एक से अधिक पत्नियाँ है तो दोनों के साथ भेदभाव बरतने एवं असमानता का व्यवहार करने के आधार न्यायालय में याचिका दायर कर विवाह विच्छेद कर सकती है। (7) पति द्वारा धर्म–परिवर्तन करने पर स्वतः ही विवाह–विच्छेद हो जायेगा।[6]

मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम महिला तलाक बाद केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण–पोषण प्राप्त कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला जब तक कि वह किसी अन्य से निकाह नहीं करती है तब तक वह भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी।[7]

शोधार्थी, विधि संकाय,

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

सन्दर्भ सूची

1. Agarwal, Sushila : Status of Women, Printwell Publishers, Jaipur, 1988.p.-47
2. Basu, L.N. : Human Rights in a Global Perspective, Pointer Publishers, Jaipur, 2007.p.-154
3. Gupta, Kalpana Das : Women on the Indian Scene : A Annotated Bibliography. Abhinav Publication, New Delhi, 1976.p.216
4. Khandela, M.C. : Human Rights and Social Realities, Pointer Publishers, Jaipur, 2003.p.-215
5. श्रीवास्तव, श्रीमती सुधारानी : भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति, अजय वर्मा कामन वेल्थ पब्लिशर्स 4378/4—बी गली मुरारी लाल अंसारी रोड, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ—76.
6. मेहता, चेतन सिंह : महिला एवं कानून आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृष्ठ 32—24.
7. शाहुबानु बेगम बनाम अमजद खां, ए. आई. आर., 23 अप्रैल 1985.